

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 662

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
नीरांचलम् शिक्षा महाविद्यालय  
मनकहरी, जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।**


विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(21) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम - समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट -


1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,  
  
कुलसचिव  
23/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/663

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
कमला मेमोरियल कालेज आफ एजुकेशन  
पड़रा, सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(39) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम-दो वर्षीय-100सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 664  
प्रति,

रीवा दिनांक : 22-12-2021

अध्यक्ष/प्राचार्य  
कमला स्मृति महाविद्यालय  
अमहा, जिला सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(43) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एससी. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, बनस्पतिशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस-120सीट प्रतिसमूह।
2	बी.सी.ए. भाग 1,2,3 - समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
3	बी.काम. भाग 1,2,3 - समस्त अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन-100सीट।
4	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
5	बी.काम. प्रथम वर्ष - टैक्सेशन (अतिरिक्त विषय)-60सीट।
6	पी.जी.डी.सी.ए.-60सीट।
7	एम.एस.डब्ल्यू. प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
8	बी.एससी. प्रथम वर्ष - बायोटेक्नालाजी (अतिरिक्त विषय)-100सीट।
9	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध कम्प्यूटर साइंस, रसायनशास्त्र-60-60सीट।
10	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-70सीट।
11	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र-120सीट प्रतिसमूह।
12	एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर बायोटेक्नालाजी-50सीट।
13	बी.ए. प्रथम वर्ष (अतिरिक्त विषय) अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल-120सीट।
14	एम.एससी. प्रथम सेमेस्टर-गणित-60सीट।
15	बी.काम. आनर्स प्रथम वर्ष-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार  
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/665

रीवा दिनांक : 23-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
एस.एन.एस. महाविद्यालय  
सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(34) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन (वैकल्पिक विषय)-120-120सीट।
2	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-60+60सीट।
4	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न समस्त (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-30-30सीट।
5	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न कम्प्यूटर-60सीट।
6	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
7	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।
8	पी.जी.डी.सी.ए.-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं विज्ञापन अनुसार विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार  
कुलसचिव 23/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 666

रीवा दिनांक : 23-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह महाविद्यालय  
लौआ (लक्ष्मणपुर), जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(18) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट।
2.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिकशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, (कम्प्यूटर साइंस-मात्र भाग एक)-120सीट।
3.	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम-समस्त अनिवार्य विषय-एक यूनिट-50सीट।
4.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. विज्ञान प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार  
कुलसचिव 03/12/21  
श्री

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 667

रीवा दिनांक : 23-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
आई.जी. ग्रुप आफ डिग्री कालेज  
ग्राम पडेनिया, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक 2(3) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-22 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -


क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.काम. तृतीय वर्ष समस्त, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-प्रतिसमूह-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य व योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. कम्प्यूटर्स की संख्या में वृद्धि करें।
3. पुस्तकालय में और पुस्तकों का क्रय करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन विभाग।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव।
9. कुलसचिव के निज सहायक।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)


क्रमांक / विकास / 2021 / 668

रीवा, दिनांक : 23-12-2021

### अधिसूचना


आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक-1670/547/आउशि/सम्ब./2021 भोपाल दिनांक 13-8-2021 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 08 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 13-10-2021 के अनुसार, श्री कालिका कन्या महाविद्यालय, लखौरीबाग, निपनिया, रीवा को को-एड महाविद्यालय में संचालन करने की अनुमति प्रदान करते हुए महाविद्यालय का नाम श्री कालिका महाविद्यालय, लखौरीबाग, निपनिया, रीवा किया जाता है।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव 03/12/21

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, श्री कालिका महाविद्यालय, लखौरीबाग, निपनिया, रीवा।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्त नियंत्रक।
9. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।
12. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 669

रीवा दिनांक : 23-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
श्रीराम महाविद्यालय, लेहचुआ (हत्था)  
जिला सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 2(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-22 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर-60सीट।
2	बी.एससी. द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, बायोटेक-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. प्रयोगशाला को पाठ्यक्रम के अनुरूप उन्नत करें।
3. पुस्तकालय में 500 नवीन पुस्तकें क्रय करें।
4. 200 फर्नीचर बैठक व्यवस्था हेतु लगायें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन विभाग।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव।
9. कुलसचिव के निज सहायक।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक कुलसचिव (विकास) 20/12/21



## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 670

रीवा दिनांक : 23-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
सिंगरौली इंस्टीट्यूट आफ टेक्निकल एजुकेशन  
सिंगरौली (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 बाबत।


विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक (अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण) 01 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.ए. द्वितीय वर्ष (अतिरिक्त विषय) भूगोल, होमसाइंस, राजनीतिशास्त्र-120सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं चाहे गये विषयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,  
  
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन विभाग।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव।
9. कुलसचिव के निज सहायक।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

  
सहायक/कुलसचिव (विकास)

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 673

रीवा दिनांक : 28-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य  
एस.आई.टी. कालेज  
सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(38) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120-120सीट।
2	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-120-120सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी (अतिरिक्त विषय)-120-120सीट।
4	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, रसायन, भौतिक, बाटनी, जुलाजी, (अतिरिक्त विषय) बायोटेक्नोलॉजी, गणित, कम्प्यूटर साइंस-120-120सीट।
5	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - कम्प्यूटर-30सीट।
6	पी.जी.डी.सी.ए.-150सीट।
7	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी-30-30सीट।
8	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-150सीट।
9	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
10	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय वर्ष-120-120सीट।
11	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार  
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/674

रीवा, दिनांक : 28-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष  
शासी निकाय  
रामबाई स्मृति महाविद्यालय, डमौरा,  
जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** परिनियम 28 कालेज कोड के तहत सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक/विद्या सागर शिक्षा समिति/2021/105  
दिनांक 17-9-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 05 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 13-10-2021 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. डॉ. सुनीता तिवारी - सहायक प्राध्यापक हिन्दी

उपर्युक्त नियुक्त सहायक प्राध्यापक के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 13-10-2021 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,  
*hlanis*  
कुलसचिव 21/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्राचार्य, रामबाई स्मृति महाविद्यालय, डमौरा, जिला रीवा (म.प्र.)।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
5. सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त विभाग।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

*hlanis*  
28/12/21

## अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 676

रीवा, दिनांक : 30-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष  
शासी निकाय  
ईश्वर चन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय  
जवा, जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक/विद्या सागर शिक्षा समिति/2021/154, 156 दिनांक 17-9-2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से भेजे गये परिनियम 28 कालेज कोड के तहत प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 04 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 13-10-2021 के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है -

1. डॉ. कृष्णकान्त शुक्ल - प्राचार्य
2. डॉ. नीलम द्विवेदी - सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

उपर्युक्त नियुक्त प्राचार्य एवं सहायक प्राध्यापक के नाम परिनियम 19 के तहत माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 13-10-2021 से नियमानुसार वरिष्ठता सूची में अंकित किये जायेंगे।

भवदीय,  
*khair*  
कुलसचिव 29/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्राचार्य, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर महाविद्यालय, जवा, जिला रीवा (म.प्र.)।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
5. सहायक कुलसचिव - विकास, गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त विभाग।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

*Himam*  
29/12/21

# अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/679

रीवा दिनांक : 31-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)  
(पूर्व नाम - अरुण तिवारी स्मृति महाविद्यालय, पहड़िया, जिला रीवा)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(17) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिधम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी-60-60सीट।
2	बी.एससी. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, गणित, भूगर्भ विज्ञान एवं कम्प्यूटर साइंस-50-50सीट।
3	बी.ए. भाग एक - संस्कृत (अतिरिक्त विषय)-60सीट।
4	बी.काम. भाग एक, दो, तीन - अनिवार्य विषय-60-60सीट।
5	बी.सी.ए. भाग एक, दो, तीन-60-60सीट।
6	एलएल.बी. भाग एक, दो, तीन (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)-60-60-60सीट।
7	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न रसायनशास्त्र, गणित-30-30सीट।
8	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न समाजशास्त्र, अंग्रेजी-30-30सीट।
9	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60-60सीट।
10	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-30-30सीट।
11	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-30-30सीट।
12	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-50सीट।
13	बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-50सीट।

नोट -

1. बार काउन्सिल आफ इंडिया की मान्यता सत्र 2021-2022 तक की प्रस्तुत करें।
2. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों-विषयों हेतु पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
3. अध्ययन कक्षाएँ, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब आदि को और व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 31/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।